

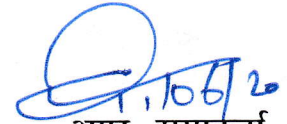
अपर समाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपीलवाद सं0- 16 /2020

झारखंड स्टेट फुड कमीशन, से दिनांक- 16.05.2020 को ईमेल के माध्यम से शिकायकर्ता- उषा किस्कू, उर्मिला मुर्मू अन्य 18 ग्राम- बोराचापड़, टोला- बोराचापड़ पंचायत- बोराचापड़ एवं अन्य प्रखंड- पोड़ैयाहाट, जिला- गोड्डा जिला द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर- डीलर- अजीत किस्कू पंचायत-बरगच्छा हरियारी, द्वारा माह-अप्रैल, मई, 2020 का राशन कार्ड में दर्ज मात्रा से कम अनाज देने के संबंध में झारखंड स्टेट फुड कमीशन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ है।

अतः इस संबंध में शिकायतकर्ता एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली के डीलर- अजीत किस्कू पंचायत-बरगच्छा हरियारी, एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट अद्यतन प्रतिवेदन के साथ दिनांक- 17.06.2020 को कार्यालय अवधि में अपर समाहर्ता, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ठ को उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित होकर या प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
गोड्डा।


अपर समाहर्ता,
गोड्डा।

17/06/20 मिनिस्त्री उर्मिला मुर्मू एवं उषा किस्कू उपस्थित हैं।
उन्हें द्वारा बताया गया कि चावल पुप मिला है।
दाल भी मिला है। उन्हें द्वारा यह भी बताया
गया, कि वे लोग मिठाई-छोड़ें। गांव में
दा लोग भापें थे। उन्हीं के द्वारा दालक खाया
गया था। उन्हें मिठाई भी दी।
Disposed


17/06/20